

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तिरुमुरुगन गांधी जेल में

यह मुकदमा गांधी के ऊपर 2017 में फलस्तीनियों के संघर्ष के साथ एक बैठक में एकजुटता जातने के लिए दर्ज किया गया है।

पिछले 14 दिनों से गांधी जेल में हैं। उन्हें बांगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था जब वे जिनेवा से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में इस्सा लेकर लौट रहे थे। वहाँ से उन्हें चेन्नई लाया गया और वेल्लूर की जेल में कैद कर दिया गया। पिछले 14 दिनों में उनके ऊपर 13 अलग-अलग मुकदमे लाद दिए गए हैं। इनमें से चार मुकदमे राजदोह के हैं तो आइपीसी की धारा 124-ए के अंतर्गत लगाए गए हैं। ये राजदोह के मुकदमे उन पर पेरियार और आंबेडकर की प्रतिमाओं को माल पहनाने, सभा के संबोधित करने, फेसबुक पर स्टरलाइट संघर्ष के वीडियो पोस्ट करने के लिए किए गए हैं।

उन्हें जेल में एकांतवास में रखा गया है और तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों में सुनवाइयों के लिए घुमाया जा रहा है। अलंदूर की अदालत में उन्हें जब बीते शनिवार को ले जाया गया तो उनके आग्रह के बावजूद पुलिस उन्हें चिकित्सक के पास नहीं ले गई और पेशाकर करने तक नहीं जाने दिया।

शनिवार को अलंदूर के मजिस्ट्रेट ने उनके ऊपर 2017 में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक में संबोधन के लिए यूएपीए का मुकदमा लगा दिया। वह बैठक फलस्तीन में मानवाधिकारों की निंदा करने के लिए बुलाई गई थी जहाँ फलस्तीनियों के संघर्ष के साथ एकजुटता दर्शायी गई थी।

- मुकेश असीम

घर बैठे प्राप्त करें मजदूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्षित हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्भगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सेंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्भगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207

सेल टैक्स विभाग का झूठ पकड़ा गया

करनाल (म.मो.) सेल टैक्स विभाग में झूठा एफीडीविट देकर सेल टैक्स नम्बर लेने का मामला प्रकाश में आया है। करनाल के सदर बाजार में लव कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी माता शांति देवी के नाम से झूठा शपथ पत्र तथा उस पर अपनी माता के झूठे हस्ताक्षर कर विक्रीकर विभाग को गुमराह कर अपनी पति श्रीमति अन्जु के नाम सेल टैक्स नंबर ले लिया। जब शांति देवी को पता चला तो उन्होंने विभाग को इस मामले में 6-12-2013 को सूचित किया। कहा कि उन्होंने कोई शपथ पत्र नहीं दिया। इस मामले में सेल टैक्स विभाग के अधिकारी ने शांति देवी के बयान भी लिए। जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई शपथ पत्र नहीं दिया और न ही कोई हस्ताक्षर किये हैं उसके बाद भी फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई।

लव कुमार ने अपनी पती अंजु के नाम से आनंद श्री इंटरप्राइज जरनाल के लिए सेल टैक्स पंजीयन नंबर ले कर लिए आवेदन 2010 में किया था। इसके साथ मकान में किराएदार के रूप में किराएनामे के लिए अपनी माता शांति देवी के नाम से झूठा शपथ पत्र दर्खिल कर दिया। विभाग ने इस मामले में न तो मकान मालिक से पूछा और न जाच की कि शपथ पत्र असली है या नहीं।

हैरानी की बात तो ये है कि जब 23-10-2010 को किरायानाम में मकान नं ४-484 का किया गया है परन्तु विभाग इतना अंधा है उसने यह भी नहीं देखा कि फिर 30-08-2010 को फर्म द्वारा दी गई स्टेटमेन्ट में मकान नं ४-484 के साथ-साथ पड़ोसी का मकान ४-483 दर्शाया गया है। जबकि इसका मालिक कोई और है विभाग को तब भी फर्जीवाड़ा दिखाई नहीं दिया। दिखाई भी कैसे दे जब भ्रष्टाचारियों ने सिस्टम बना रखा है रिश्वत दे और घर बैठे-बैठे विना मोका मुआयना कराये सेल टैक्स नम्बर पाओ। जो इस मामले में भी ऐसे ही हुआ है।

इस मामले में शांति देवी की शिकायत पर इस्सपैक्टर संजीव कुमार ने आनंद श्री इंटरप्राइज फर्म को नाटिस देने की बात कही और मौका पर भी गया। जिसमें इस्सपैक्टर ने यह भी कहा कि फर्म वहाँ नहीं चल रही थी।

प्राप्त जानकारी अनुसार फर्म के मालिक को इससे बचने का उपाय भी दे दिया कि

फर्म को डिस्पोस ऑफ करा दो या कोई अन्य जगह पर फर्म बदलने की हमें सच्चा देदो। जाहिर है कि इस सलाह देने के लिये कुछ नजराना भी लिया होगा। लव कुमार ने इस्सपैक्टर की सलाह को मानते हुये आनंद श्री इंटरप्राइज फर्म के पंजीयन को कैंसिल करवा दिया।

हालांकि इस मामले में लव कुमार ने आईसक्रीम कोल्ड ड्रिंक आदि अडिशन कराने की कार्यालय में आवेदन कर रखा था। चाहिये तो कार्रवाई इस्सपैक्टर संजीव कुमार को ये तो था कि जब मकान में फर्म का स्टॉक नहीं है तो किए वह स्टॉक कहाँ गया जो विभाग को कागजों में दिखा रखा है, और स्टॉक न होने की सूरत में उस पर जुर्माना लगाना चाहिये था।

इस मामले में लव कुमार ने बारे में कार्रवाई की मांग भी की है।

FASHION.IN

Available all types of
ladies cotton kurties, Fancy
Kurties, Jegin, legin, Fancy
Top, T-Shirts, Trouzers and
imported material in
wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR
DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH
CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

गतांक की चीर-फाड़

खट्टर सरकार शिक्षा और छात्रों के भविष्य के प्रति बिल्कुल गम्भीर नहीं

मजदूर मोर्चा के 02-06 सितम्बर 2018 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय ज्वलंत व समसामयिक मुद्दों पर समाचार प्रकाशित हुये हैं। कुछ समय से देश में असहमति जातने और सत्ता का विरोध करने वाले को सरकारी तंत्र के द्वारा तरह-तरह से प्रताड़ित करने की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने अलग-अलग शहरों में छापे मारकर अबन नक्सलियों से संबंधित के आरोप में पांच प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, वकील व पत्रकार को गिरफ्तार किया जिसकी 'दाऊद इब्राहिम' की जगह पकड़ा गया सुधा भारद्वाज को तथा 'गौर कानूनी ओर निरंकुश गिरफ्तारियां' में उचित समीक्षा की गई है।

महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का 200 वां शैर्य दिवस मनाने के लिये 1 जनवरी 2018 को दलित समुदाय व उनके हमदर्दभारी संस्थाएं में इकट्ठे हुये जिन पर हिंदुवादी संगठन हिन्दू एकता अधारी के मिलिंद एकबोते और शिवाराज प्रतिष्ठान के संभाजी भिड़े को हिंसा करने और भड़काने का दोषी पाया गया। मुख्य आरोपी मिलिंद को एक बार गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया जबकि सभाजी भिड़े को हिंसा करने की व्यवस्था की गई। इस बीच आरएसए, मोदी सरकार व फडणवीस सरकार ने इन पांचों को उचित ठहराते हुये समर्थन किया। फडणवीस सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिये पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक परमवीर सिंह को आगे कर दिया जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास इनके माओवादियों के साथ संबंध होने के पुख्ता सबूत हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांगलुरु के बांगलुरु की विरोधी वाई और हाई कोर्ट ने सेवाल उठाते हुये कहा कि जब केस अदालत में विचाराधीन है तो पुलिस के साथ संघर्ष करने की विरोधी वाई और हाई कोर्ट की विरोधी वाई नहीं है।

इन्हें पूर्ण रूप से मनगढ़त करार दिया। यही अव्योपित आपातकाल है जब पार्टी, सरकार और जांच एजेंसी का भेद समाप्त हो गया है।

गैरतलब है कि संघ के पूर्व सर संघ चालक गुरु गोलवलकर ने भी एक बार दलितों द्वारा पेशवाओं के विरुद्ध भीमाकोरेगांव का शोर्य दिवस मनाने का विरोध किया था। आरएसएस पर ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व रहा है इसलिये दलित वर्ग द्वारा ब्राह्मणों (पेशवा) की पराय वर्गीकरण का शोर्य दिवस मनाना संघ को सहन नहीं था। यह उनके लिये जले पर नमक छिड़कने जैसा था।

पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव मामले में जून 2018 में दलित कार्यकर्ता सुधीर धवाल, वकील सुरेन्द्र गाडलिंग, महेश रात, शोभा सेना और रोना विल्सन को पकड़ा था। पुलिस ने अपनी जांच में मिले सुराग के आधार पर उन पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की रात्यारात देते हुये इन्हें अपने घरों में नजरबंद रखने की व्यवस्था की गई। इस बीच आरएसए, मोदी सरकार व फडणवीस सरकार ने इन पांचों की गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुये समर्थन किया। फडणवीस सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिये पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक परमवीर सिंह को आगे कर दिया जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास इनके माओवादियों के साथ संबंध होने के पुख्ता सबूत हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांगलुरु की विरोधी वाई और हाई कोर्ट ने सेवाल उठाते हुये कहा कि जब केस अदालत में विचाराधीन है तो पुलिस के साथ संघर्ष करने की विरोधी वाई और हाई कोर्ट की विरोधी वाई नहीं है। सरकार व प्रशासन द्वारा उनकी म